न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–   परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
51 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021	07.06.2021	17.06.2022

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
......आवेदक

बनाम

1–श्री सतीश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मिश्रीलाल जिन्दल निवासी गुरूद्वारा रोड देवली जिला टोंक विक्रेता मैसर्स अंजनी ट्रेडर्स गुरूद्वारा रोड देवली जिला टोंक
2–श्री अंकित कुमार अग्रवाल पुत्र श्री विष्णुदत्त अग्रवाल निवासी गुरूद्वारा रोड देवली जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स अंजनी ट्रेडर्स गुरूद्वारा रोड देवली जिला टोंक
3–मैसर्स अंजनी ट्रेडर्स गुरूद्वारा रोड देवली जिला टोंक
4–श्री कुनाल चन्दानी पुत्र श्री सुरेश कुमार चन्दानी निवासी 31, शास्त्री नगर, ब्यावर जिला अजमेर प्रोपरायटर मैसर्स कुन्दन इडिबल ऑयल इण्डस्ट्रीज बायपास रोड, गणेशपुरा, ब्यावर जिला अजमेर
5–मैसर्स कुन्दन इडिबल ऑयल इण्डस्ट्रीज बायपास रोड, गणेशपुरा, ब्यावर जिला अजमेर

......अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 व 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार उपस्थित।
2–अप्रार्थी सं. 1 श्री सतीश कुमार अग्रवाल उपस्थित।

दिनांक 17.06.2022

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.10.2020 को समय 02:30 पी.एम. पर मैसर्स अंजनी ट्रेडर्स गुरूद्वारा रोड देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉ श्री सतीश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मिश्रीलाल जिन्दल मिला, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सतीश कुमार अग्रवाल ने स्वयं को मैसर्स अंजनी ट्रेडर्स गुरूद्वारा रोड देवली जिला टोंक का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में गुड, तेल, घी, शक्कर व अन्य खाद्य पदार्थ के साथ–साथ दुकान के गोदाम में कागज के 20 कार्टून में लगभग 400 मूल पैक बोतल पैक्ड अवस्था में प्रत्येक बोतल 1–1 लीटर पैक मूंगफली तेल **(कुन्दन स्वास्तिक ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे देखने व निरीक्षण

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा होने पर विक्रेता श्री सतीश कुमार अग्रवाल को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दोनों प्रतियों में विक्रेता श्री सतीश कुमार अग्रवाल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **मूंगफली तेल (कुन्दन स्वास्तिक ब्राण्ड)** वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 1–1 लीटर पैक के 4 मूल पैक बोतल जिसके बैच नं. 10 व पैकिंग की दिनांक 22.10.2020 थी, को ज्यों का त्यों खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा **मूंगफली तेल (कुन्दन स्वास्तिक ब्राण्ड)** की खरीदशुदा 4 मूल पैक प्रत्येक 1–1 लीटर पैक को ज्यों का त्यों एक–एक नग के बराबर–बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2648 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–2648 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

श्री सतीश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मिश्रीलाल जिन्दल मैसर्स अंजनी ट्रेडर्स गुरूद्वारा रोड देवली जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स कुन्दन इडिबल ऑयल इण्डस्ट्रीज बायपास रोड, गणेशपुरा, ब्यावर जिला अजमेर का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक ने मैसर्स कुन्दन इडिबल ऑयल इण्डस्ट्रीज बायपास रोड, गणेशपुरा, ब्यावर जिला अजमेर को पत्र प्रेषित कर फार्म नं. 5ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज चाहे गए जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म से सम्बन्धित दस्तावेज प्रेषित कर उपरोक्त फर्म का प्रोपरायटर श्री कुनाल चन्दानी को होना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/4046 दिनांक 23.11.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/1584/एक्ट/2020/1604 दिनांक 05.11.2020 के अनुसार विक्रेता श्री सतीश कुमार अग्रवाल से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु क्रय किया गया **मूंगफली**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

तेल (कुन्दन स्वास्तिक ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया हैं। प्रकरण में अप्रार्थीगण ने **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का **मूंगफली तेल (कुन्दन स्वास्तिक ब्राण्ड)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्राथी सं. 1 श्री सतीश कुमार अग्रवाल उपस्थित हुए एवं अपना जुर्म स्वीकार किया। अप्रार्थी सं. 2 व 3 मात्र दो बार दिनांक 06.08.2021 व दिनांक 07.01.2022 को न्यायालय हाजा में उपस्थित हुए। उसके बाद लगातार अनुपस्थित हैं। इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 4 व 5 के प्रतिनिधि मात्र एक बार दिनांक 06.08.2021 को उपस्थित हुए एवं लगातार अनुपस्थित हैं। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **मूंगफली तेल (कुन्दन स्वास्तिक ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मूंगफली तेल (कुन्दन स्वास्तिक ब्राण्ड)** नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 पर शास्ति रूपये 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रू0), अप्रार्थी सं. 2 व 3 पर कुल शास्ति रूपये 75,000/–(अक्षरे पचहत्तर हजार रू0) तथा अप्रार्थी सं. 4 व 5 पर कुल शास्ति रूपये 2,00,000–/(अक्षरे दो लाख रू0) आरोपित जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 17.06.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। निर्णय की प्रति अप्रार्थी एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0